

शेराराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 166/2019

23.10.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शेराराम पुत्र बीजाराम मेघवाल पता अगुणा बास, मथानिया तिंवरी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.07.19 में उसके द्वारा (1) संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर साहब की राजकीय कार्यालयों में तसवीर/फोटो लगाने के आदेश की सत्यापन एवं प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर जोधपुर)/प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

